चेम्बरा ऑर्चर्ड प्रोड्यूस लिमिटेड और अन्य

बनाम

कंपनी मामलों के क्षेत्रीय निदेशक एवं अन्य

(सिविल अपील नं. 7115-7120/2008)

4 दिसंबर, 2008

(एस. एच. कपाड़िया और आफताब आलम, जे. जे.)

कंपनी अधिनियम, 1956 -

धारा 391 (1) - समामेलन की योजना पर विचार करने के लिए लेनदारों व सदस्यों की मीटिंग आहूत करने के लिए निर्देश चाहने हेतु आवेदन- एक तरफा सुनवाई का औचित्य- अभिनिर्धारित बैठक के आदेश के लिए आवेदन एक प्रारंभिक कदम है। प्रारंभिक स्तर पर जहां कम्पनी के लेनदारों/सदस्यों और नये धारकों को सुनवाई का नोटिस देना आवश्यक नहीं है-जबकि नियम 67 स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि निर्देशों के लिए समन एक पक्षीय रूप से भेजा जायेगा, तो पूर्वाग्रह- प्राकृतिक नियम का प्रश्न काम में नहीं आता है- हालांकि ऐसे समन जारी करते समय न्यायालय को अपना दिमाग नियम 69 में दर्शायी गई जांच सूची पर लगाना होगा और उसे आवेदन की प्रमाणिकता और सद्भाविकता के बारे में

प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है - निर्देशों के लिए समन जारी होने के बाद जब बैठक बुलाने का आदेश दिया जाता है तो नियमों 73, 74 और 76 की पालना किया जाना आवश्यक है। कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959- नियम 67 और 69 का नैसर्गिक न्याय- सुनवाई का अवसर-

मिहीर एच. मफतलाल वी. मफतलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड 1997 (1) एस.एस.सी. 579, पर निर्भर

सकामरी स्टील एवं अलॉयज लिमिटेड पुनः 51 कम्पनी मामले पेज 266 अनुमोदित।

हिंद ऑटो इंडो लिमिटेड बनाम मैसर्स प्रीमियर मोटर्स (पी) लिमिटेड ए.आई.आर. 1970 इलाहाबाद 165 प्रतिष्ठित।

पामर कम्पनी काननू का उल्लेख किया गया है।

केस कानून के संदर्भ में:-

1997 (1) एस.एस.सी. 579	पर भरोसा	पैरा संख्या 08
51 कम्पनी मामले पेज 266	अनुमोदित	पैरा संख्या 09
ए.आई.आर. 1970 इलाहाबाद 165	प्रतिष्ठित	पैरा संख्या 11

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सिविल अपील संख्या:- 7115-

7120/2008

कर्नाटक उच्च न्याायलय, बेगूंलरू के निर्णय और आदेश दिनांक 20.08.2007 से सी.ए. संख्या 354- 359/2003

श्याम दीवान, शमिक संजावाला, श्रीनिवास राघवन डी और मीनाक्षी अरोड़ा अपीलकर्ताओं की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया:-

आदेश

01. याचिका स्वीकृत।

02. इन सिविल अपीलों में निर्धारण के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह उठता है कि क्या कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 1956 अधिनियम) की धारा 391 (1) के तहत लेनदारों और सदस्यों की बैठक बुलाने के लिए निर्देश मांगने वाला एक आवेदन दायर किया गया है। समामेलन की किसी योजना पर विचार करने के लिए कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 67 के अनुसार एकपक्षीय सुनवाई और निर्णय लेना आवश्यक है ?

03. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यहां नीचे प्रासंगिक नियमों को उद्धृत करना होगा।

"नियम 2(9) 'न्यायाधीश के सम्मन' का अर्थ है चैंबर या न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष वापस किया जाने वाला समन।

67. बैठक बुलाने के निर्देश के लिए समन - लेनदारों और/या सदस्यों या उनके किसी भी वर्ग की बैठक बुलाने के आदेश के लिए धारा 391(1) के तहत एक आवेदन एक न्यायाधीश के समन द्वारा एक हलफनामे के साथ समर्थित होगा। प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था की एक प्रति शपथ पत्र के साथ प्रदर्शनी के रूप में संलग्न की जाएगी। इसके अंतर्गत नियम 68 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, सम्मन एक पक्षीय रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। समन फॉर्म नंबर 33 में होगा और उसके समर्थन में हलफनामा फॉर्म नंबर 34 में होगा।

68. कंपनी पर सेवा - जहां कंपनी आवेदक नहीं है, समन और शपथ पत्र की एक प्रति कंपनी को दी जाएगी, या, जहां कंपनी बंद हो रही है, उसके परिसमापक को, कम से कम 14 दिन के भीतर दी जाएगी सम्मन की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से पहले।

69. समन की सुनवाई पर निर्देश,- समन की सुनवाई या

उसकी किसी स्थगित सुनवाई पर, न्यायाधीश, जब तक कि वह समन को खारिज करना किसी कारण से उचित न समझे, ऐसे निर्देश देगा जो वह निम्नलिखित मामले के संबंध में आवश्यक समझे:-

(1) लेनदारों और/या सदस्यों के वर्ग या वर्गाें का निर्धारण करना जिनकी बैठक या बैठकें प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था पर विचार करने के लिए आयोजित की जानी हैं;

(2) ऐसी बैठक या बैठकों का समय और स्थान तय करना;

(3) बैठक या होने वाली बैठकों के लिए, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष या अध्यक्षों की नियुक्ति करना;

(4) कोरम तय करना और बैठक या बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें प्रॉक्सी द्वारा मतदान भी शामिल है;

(5) लेनदारों और/या सदस्यों, या लेनदारों या किसी भी वर्ग के सदस्यों, जैसा भी मामला हो, के मूल्यों का निर्धारण करना, जिनकी बैठकें आयोजित की जानी हैं;

(6) बैठक या बैठकों की दी जाने वाली सूचना और ऐसे

नोटिस का विज्ञापन;

(7) वह समय जिसके भीतर बैठक के अध्यक्ष को बैठक के परिणाम की रिपोर्ट न्यायालय को देनी होगी और ऐसे अन्य मामले जिन्हें न्यायालय आवश्यक समझे।

समन पर दिया गया आदेश आवश्यक बदलावों के साथ फॉर्म नंबर 35 में होगा।"

73. बैठक की सूचना - लेनदारों और/या सदस्यों, या लेनदारों या किसी भी वर्ग के सदस्यों को जैसा भी मामला हो, दी जाने वाली बैठक की सूचना फॉर्म संख्या 36 में होगी, और दी जाएगी, बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है, या, यदि न्यायालय ऐसा निर्देश देता है, तो कंपनी (या उसके परिसमापक), या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जैसा न्यायालय निर्देश दे, बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 21 दिन पहले उनके अंतिम ज्ञात पते पर पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत डाक द्वारा भेजा जाता है। इसके साथ प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था की एक प्रति और धारा 393 के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक विवरण और फॉर्म संख्या 37 में प्रॉक्सी का एक फॉर्म संलग्न होना चाहिए।

74. बैठक की सूचना का विज्ञापन,- बैठक की सूचना ऐसे समाचार

पत्रों में और न्यायाधीश द्वारा निर्देशित तरीके से, बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 21 दिन पहले विज्ञापित की जाएगी। विज्ञापन फॉर्म नंबर 38 में होगा।

75. समझौते या व्यवस्था की प्रति कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी - बैठक में भाग लेने के हकदार प्रत्येक लेनदार या सदस्य को कंपनी द्वारा निःशुल्क और इसके लिए मांग किए जाने के 24 घंटे के भीतर एक प्रति प्रदान की जाएगी। प्रस्तापित समझौते या व्यवस्था के साथ-साथ धारा 393 के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण की एक प्रति आवश्यक है, जब तक कि वह पहले से ही ऐसे सदस्य या लेनदार को प्रस्तुत नहीं की गई हो।

76. सेवा का शपथ पत्र, - बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष या कंपनी या विज्ञापन और बैठक के नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित अन्य व्यक्ति बैठक के आयोजन के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 7 दिन पहले एक शपथ पत्र दाखिल करेगा या जैसा भी मामला हो, पहली बैठक का आयोजन यह दर्शाता है कि नोटिस और विज्ञापन जारी करने के निर्देशों का विधिवत अनुपालन किया गया है। उसके डिफ़ॉल्ट होने पर, न्यायाधीश के समक्ष ऐसे आदेशों के लिए सम्मन पोस्ट किया जाएगा जिसे वह देना उचित समझे।

79. समझौते या व्यवस्था की पुष्टि के लिए याचिका- जहां

प्रस्तावित समझौता या व्यवस्था धारा 391 की उपधारा (2) द्वारा प्रदान किए गए संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सहमत है, कंपनी, (या उसके परिसमापक, जैसा भी मामला हो) 7 दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने से समझौते या व्यवस्था की पुष्टि के लिए न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत करेगा याचिका फॉर्म नंबर 40 में होगी।

जहां किसी कंपनी या कंपनियों के पुनर्निर्माण के लिए या किसी योजना के संबंध में, या किन्हीं दो या अधिक कंपनियों के समामेलन के लिए कोई समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है, तो याचिका धारा 394 के तहत उचित आदेशों और निर्देशों के लिए प्रार्थना करेगी।

जहां कंपनी उपर्युक्त समझौते या व्यवस्था की पुष्टि के लिए याचिका प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो यह किसी भी लेनदार या अंशदाता के लिए खुला होगा, जैसा भी मामला हो, अदालत की अनुमति से, याचिका प्रस्तुत करने की लागत के लिए/कोस्ट के लिए कंपनी उत्तरदायी होगी।

जहां समझौते या व्यवस्था की पुष्टि के लिए कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है, या जहां समझौते या व्यवस्था को धारा 391(2) के तहत अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप पुष्टि के लिए कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकी है, अध्यक्ष की रिपोर्ट पूर्ववर्ती नियम के तहत की गई बैठक के परिणाम को ऐसे आदेशों के लिए

न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा जो आवश्यक हो सकते हैं।

80. सुनवाई की तारीख और नोटिसः- न्यायालय याचिका की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगा, और सुनवाई की सूचना उन्हीं अखबारों में विज्ञापित की जाएगी जिसमें बैठक की सूचना विज्ञापित की गई थी. या ऐसे अन्य कागजात में अदालत सुनवाई के लिए तय तारीख से कम से कम 10 दिन पहले निर्देश दे सकती है।"

हम यहां नीचे फॉर्म नंबर 33 और फॉर्म नंबर 34 भी उद्धृत कर रहे हैंः-

फॉर्म नं. 33

नियम 67 देखे,

(शीर्षक प्रपत्र क्रमांक 1 के अनुसार)

कंपनी आवेदन क्रमांक 19 में से ..... आवेदक)

धारा 391 के तहत बैठक बुलाने के निर्देश हेतु सम्मन

सभी संबंधित पक्षों को ....., ... दिन,..... के दिन न्यायाधीश के कक्ष में उपस्थित होने दें।

19.....उपरोक्त नाम के एक आवेदन की सुनवाई पर

.....दोपहर..... बजे कंपनी (या ऊपर नामित आवेदकों की) को एक आदेश के लिए (कि एक बैठक (या अलग बैठकें)..... पर आयोजित की जानी चाहिए (यहाँ लेनदारों या वर्ग को दर्ज करें) लेनदार, उदाहरण के लिए, डिबेंचर-धारक, अन्य सुरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार, आदि, या सदस्य या सदस्यों का वर्ग, उदाहरण के लिए, वरीयता शेयरधारक, इक्विटी शेयरधारक, आदि किस वर्ग या वर्ग की बैठक होनी है) उपरोक्त कंपनी, विचार करने के उद्देश्य से, और यदि उपयुक्त समझी गई, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, कंपनी और उक्त के बीच समझौता या व्यवस्था की एक योजना प्रस्तावित की जाएगी ख्यहां लेनदारों या लेनदारों या सदस्यों के वर्ग का उल्लेख करें, या उक्त कंपनी के सदस्यों का वर्ग,।

और उक्त बैठकें बुलाने, आयोजित करने और संचालित करने की विधि और जारी किए जाने वाले नोटिस और विज्ञापनों के बारे में निर्देश दिए जा सकते हैं।

और उक्त बैठक (बैठकों) के लिए अध्यक्ष (या चेयरमैन) नियुक्त किया जा सकता है, जो न्यायालय को उसके परिणाम की रिपोर्ट देगा।

आवेदक रजिस्ट्रार के लिए वकील।

समन के समर्थन में ..... का हल्फनामा इस्तेमाल

किया जाएगा।

(नोट:- जहां कंपनी आवेदक नहीं है, वहां समन कंपनी को, या जहां उसे बंद किया जा रहा है, उसके परिसमापक को भेजा जाना चाहिए।)

फॉर्म नं. 34)

[नियम 67 देखे,]

(शीर्षक प्रपत्र क्रमांक 1 के अनुसार)

कंपनी आवेदन संख्या.....19 में से

..... आवेदक।

समन के समर्थन में शपथ पत्र

मैं, ... इत्यादि, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूॅं और इस प्रकार कहता हूँ:-

1. मैं उक्त कंपनी का प्रबंध निदेशक/संचिव/निदेशक /...../ हूं, (या यह शपथ पत्र बनाने के लिए निदेशकों द्वारा अधिकृत उक्त कंपनी का लेखा परीक्षक/हूं) या परिसमापन में उक्त कंपनी का परिसमापक)।

[जहां आवेदन कंपनी या उसके परिसमापक द्वारा नहीं है, बल्कि किसी सदस्य या लेनदार द्वारा है, तो उपरोक्त पैराग्राफ को उचित रूप से

बदला जाना चाहिए।]

2. कंपनी की स्थापना ..... 19 ..... को की गई थी। अब जो दस्तावेज तैयार किया गया है और मुझे दिखाया गया है, वह ज्ञापन की एक मुद्रित प्रति है, और एसोसिएशन के लेख है। कंपनी ने कहा, और इसमें उन सभी विशेष प्रस्तावों की प्रतियां भी शामिल है जो पारित हो चुके हैं और अब लागू है।

3. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ..... पर स्थित हैं

4. कंपनी की पूंजी रू. ..... को ..... में विभाजित किया गया है (यहां जारी किए गए शेयरों की श्रेणियां और प्रत्येक शेयर पर भुगतान की गई राशि निर्धारित की गई है)

5. कंपनी के उद्देश्य इसके साथ संलग्न एसोसिएशन के ज्ञापन में निर्धारित है। वे संक्षेप में हैं (यहां मुख्य वस्तुओं को संक्षेप में बताया गया है)।

6. कंपनी ने ..... (उदाहरण के लिए, खाल और खाल, आदि) को कारोबार शुरू किया और तब से यह जारी है। .....

7. (यहां अलग-अलग पैराग्राफ में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिनके लिए प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था की आवश्यकता है, इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, समझौते या व्यवस्था की शर्तें, और

समझौते या व्यवस्था पर प्रभाव, यदि कोई हो, निदेशकों, प्रबंध निदेशक, प्रबंध एजेंट, सचिवों और कोषाध्यक्षों या कंपनी के प्रबंधक के भौतिक हित, और जहां समझौता या व्यवस्था डिबेंचर धारकों के हितों को प्रभावित करती है, इसका प्रभाव डिबेंचर ट्रस्ट डीड के ट्रस्टियों के भौतिक हितों पर पड़ता है। प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था की एक प्रति को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और हलफनामे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।)

8. (यहां उन लेनदारों या सदस्यों का वर्ग निर्धारित करें जिनके साथ समझौता या व्यवस्था की जानी है; जहां व्यवस्था कंपनी और उसके सदस्यों के बीच है, वहां यह बताया जाना चाहिए कि क्या कोई लेनदार या लेनदारों का वर्ग इससे प्रभावित होने की संभावना है।)

9. यह आवश्यक है कि ऋणदाताओं/सदस्यों की एक बैठक (या बैठकें) (यदि बैठक केवल ऋणदाताओं के एक वर्ग या सदस्यों के एक वर्ग की होनी है, तो ऐसा कहा जाना चाहिए) को विचार करने और अनुमोदन करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। प्रस्तावित समझौता या व्यवस्था।

10. यह सुझाव दिया जाता है कि बैठक (या बैठकें) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिसर में या ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित की जा सकती है जो न्यायालय द्वारा निर्धारित की जा सकती है, और ऐसी तारीखों पर और ऐसे समय पर आयोजित की जा सकती है(एस) जैसा कि

यह न्यायालय निर्देश दे; और आयोजित होने वाली बैठक (या प्रत्येक बैठक के लिए) के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

11. यह सुझाव दिया जाता है कि प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था और बैठक की सूचना एक बार (यहां समाचार पत्रों में दी गई है) और ऐसे अन्य तरीके से प्रकाशित की जा सकती है जैसा न्यायालय निर्देश दे।

12. यह प्रार्थना की जाती है कि नोटिस जारी करने और प्रकाशित करने तथा ऊपर प्रस्तावित बैठकों को बुलाने, आयोजित करने और आयोजित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं।

सत्यनिष्ठा से पुष्टि, आदि।

(एसडी.) एक्सवाई

मेरे समक्ष

(एसडी.).....

शपथ दिलाने के लिए आयुक्त"।

4. अपीलकर्ता कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत 17 अप्रैल, 2003 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी आवेदन संख्या 354 से 359/2003 को एक हलफनामे द्वारा समर्थित निर्देशों के लिए न्यायाधीश के सम्मन के रूप में पेश किया।

समामेलन की प्रस्तावित योजना पर विचार करने के लिए शेयरधारकों और सदस्यों की बैठक आवेदन यह कहते हुए दायर किए गए थे कि आवेदक ने उक्त योजना में प्रवेश किया था जिसके तहत अपीलकर्ता क्रमांक 1 से 5 को 6 वीं अपीलकर्ता - कंपनी में मिलाने का प्रस्ताव था। समामेलन की इस प्रस्तावित योजना को वास्तव में निदेशक मंडल द्वारा 15 फरवरी, 2003 के संकल्प के माध्यम से अनुमोदित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि समामेलन के परिणामस्वरूप पैमाने की अर्थव्यवस्था होगी। नियम 67 के अनुसार, बैठकें आयोजित करने के संबंध में दिशा-निर्देशों के लिए न्यायाधीश का सम्मन एकपक्षीय रूप से पेश किया गया था।

5. जब 15 मार्च, 2004 को बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी का आवेदन कंपनी न्यायाधीश के समक्ष आया, तो एक प्रश्न उठाया गया कि क्या शेयरधारक और लेनदारों की बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी करने से पहले शेयरधारक और लेनदारों को सुनना आवश्यक नहीं है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ऊपर उद्धृत नियम 67 में बैठके आयोजित करने के निर्देश जारी करने से पहले शेयरधारकों और लेनदारों सहित किसी भी व्यक्ति की सुनवाई पर विचार नहीं किया गया है।

6. निर्देश पर 20 अगस्त, 2007 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने कानून के उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कंपनी कोर्ट को धारा 391(1) के तहत बैठक बुलाने

के निर्देश जारी करने से पहले सभी पक्षों की सुनवाई आवश्यक थी। कंपनी अधिनियम और उस संबंध में एक पक्षीय आदेश पारित नहीं किया जा सका। यही वह आदेश है जिसे चुनौती दी जा रही है।

7. शुरुआत में, यह कहा जा सकता है कि कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 643(1)(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किए गए हैं। उनके पास संसद द्वारा पारित अधिनियम का बल है। उक्त नियम 1959 में कानून का वैधानिक बल है। उक्त नियम 67 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि लेनदारों और/या सदस्यों या उनके किसी भी वर्ग की बैठक बुलाने के आदेश के लिए धारा 391(1) के तहत एक आवेदन एक हलफनामे द्वारा समर्थित न्यायाधीश के सम्मन द्वारा किया जाएगा। नियम 67 में प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था को एक प्रदर्शन के रूप में हलफनामे के साथ संलग्न करने की आवश्यकता है। हालांकि, नियम 67 नियम 68 के अधीन है (जो ऐसे मामले से संबंधित है जहां कंपनी आवेदक नहीं है। यदि कोई नियम 67 को फॉर्म 33 और फॉर्म 34 के साथ पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि अनिवार्य रूप से न्यायालय को ऐसे समन जारी करते समय नियम 69 में निर्दिष्ट चेकलिस्ट पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है और उसे आवेदन की वास्तविकता और प्रामाणिकता के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है। एक पहलू पर प्रकाश डालने

की जरूरत है. प्रस्ताव की एकपक्षीय सुनवाई का मतलब यह नहीं है कि न्यायालय को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ा या न्यायालय को प्रथम दृष्टया वास्तविकता या सद्भावना के बारे में संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह एक प्रारंभिक कदम है। एक और पहलू का जिक्र जरूरी है. यदि योगदानकर्ताओं लेनदारों और शेयरधारकों को सुनवाई की आवश्यकता है, तो धारा 391 (जो स्वयं एक संहिता है) की पूरी योजना अव्यवहारिक हो जाएगी। इसके अलावा, जब नियम 67 स्पष्ट रूप से कहता है कि निर्देशों के लिए समन एकपक्षीय रूप से पेश किया जाएगा, तो पूर्वाग्रह या प्राकृतिक न्याय के नियम का सवाल ही नहीं उठता। हालाँकि, यह कहने का एक तर्क है कि समन को एकपक्षीय रूप से स्थानांतरित किया जाएगा और तर्क यह है कि यह प्रारंभिक चरण के रूप में बैठक के आदेश के लिए एक आवेदन है और उस स्तर पर यह कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है। लेनदारों, सदस्यों और शेयर धारकों को सुनवाई का नोटिस देना (देखेंरू पामर कंपनी कानून)। इसके अलावा, यदि कोई नियम 73 के संदर्भ में नियम 67 की जांच करता है, तो उसे पता चलता है कि दिशा-निर्देश के लिए समन जारी होने के बाद जब और जब बैठक बुलाने का आदेश दिया जाता है, तो बैठक की सूचना लेनदारों और/या को दी जानी आवश्यक है। नियम 73 में सूचीबद्ध सदस्य या ऐसे अन्य वर्ग इसी प्रकार, नियम 74 के तहत बैठक की सूचना का विज्ञापन भी ऐसे समाचार पत्रों में और ऐसे तरीके से प्रकाशित किया जाना आवश्यक है जैसा

न्यायाधीश निर्देश दे। इसे नियम 76 के तहत सेवा के शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना है।

8. उपरोक्त नियमों के विश्लेषण से पता चलता है कि बैठक बुलाने के लिए निर्देश जारी करने के प्रारंभिक चरण और बैठक की सूचना के बाद के चरण के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास है, जिस पर नियम 73 द्वारा विचार किया गया है और उस सटीक कारण के लिए नियम 67 में कहा गया है कि सम्मन एकपक्षीय रूप से भेजा जाएगा।

9. हमारा दृष्टिकोण इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों से समर्थित है। जहां तक कंपनी अधिनियम की धारा 391 से 394 की योजना का सवाल है, हम 1997 में रिपोर्ट किए गए मिहीर एच. मफतलाल बनाम मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 28 को उद्धृत कर रहे हैं (1) एससीसी 579 :

> "28. कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधान "मध्यस्थता, समझौता, व्यवस्था और पुनर्निर्माण" से संबंधित भाग VI के अध्याय V में पाए जाते हैं। वर्तमान कार्यवाही में हम अधिनियम की धारा 391 और 393 से संबंधित होंगे। उसके प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार पढ़ेंरू
>
> "391. (1) जहां कोई समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है--

(ए) किसी कंपनी और उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच; या

(बी) किसी कंपनी और उसके सदस्यों या उनके किसी वर्ग के बीच; न्यायालय, कंपनी या किसी लेनदार या कंपनी के सदस्य के आवेदन पर, या परिसमापक के बंद होने वाली कंपनी के मामले में, लेनदारों या लेनदारों के वर्ग की बैठक का आदेश दे सकता है, या जैसा भी मामला हो, सदस्यों या सदस्यों के वर्ग को न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से बुलाया, रखा और संचालित किया जाएगा।

(2) यदि लेनदारों, या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों, या जैसा भी मामला हो, सदस्यों के वर्ग के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो और मतदान करें, या जहां प्रॉक्सी की अनुमति है धारा 643 के तहत बनाए गए नियम, बैठक में प्रॉक्सी द्वारा, किसी भी समझौते या व्यवस्था के लिए सहमत होते हैं, समझौता या व्यवस्था, यदि न्यायालय द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो सभी लेनदारों, वर्ग के सभी लेनदारों, सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होगी। या वर्ग के सभी सदस्यों पर, जैसा भी मामला हो, और कंपनी पर भी, या किसी कंपनी

के मामले में, जिसे बंद किया जा रहा है, कंपनी के परिसमापक और योगदानकर्ताओं परः

बशर्ते कि किसी भी समझौते या व्यवस्था को मंजूरी देने वाला कोई भी आदेश न्यायालय द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा उप-धारा (1) के तहत आवेदन किया गया है, ने हलफनामे या हलफनामे द्वारा न्यायालय को खुलासा किया है। अन्यथा, कंपनी से संबंधित सभी भौतिक तथ्य, जैसे कंपनी की नवीनतम वित्तीय स्थिति, कंपनी के खातों पर नवीनतम लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, धारा 235 से 251 के तहत कंपनी के संबंध में किसी भी जांच कार्यवाही की आैर उसी प्रकार की लंबितता।

393. (1) जहां धारा 391 के तहत लेनदारों या लेनदारों के किसी भी वर्ग, या सदस्यों या सदस्यों के किसी भी वर्ग की बैठक बुलाई जाती है, --

(ए) बैठक बुलाने के प्रत्येक नोटिस के साथ, जो किसी लेनदार या सदस्य को भेजा जाता है, एक बयान भी भेजा जाएगा जिसमें समझौते या व्यवस्था की शर्तों को

बताया जाएगा और इसके प्रभाव को समझाया जाएगा, और विशेष रूप से, निदेशकों के किसी भी भौतिक हितों को बताया जाएगा। प्रबंध निदेशक, प्रबंध एजेंट, सचिव और कोषाध्यक्ष या कंपनी के प्रबंधक, चाहे उनकी क्षमता में या कंपनी के सदस्य या लेनदार के रूप में या अन्यथा, और उन हितों पर प्रभाव, समझौते या व्यवस्था का यदि, और जहां तक हो चूँकि, यह अन्य व्यक्तियों के समान हितों पर पड़ने वाले प्रभाव से भिन्न है; और

(बी) बैठक बुलाने वाले प्रत्येक नोटिस में, जो विज्ञापन द्वारा दिया गया है, उसमें या तो पूर्वाेक्क जैसा एक बयान या उस स्थान की अधिसूचना शामिल होगी जिस पर और जिस तरीके से लेनदार या बैठक में भाग लेने के हकदार सदस्य इसकी प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है।

अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान यह दर्शित करते हैं कि किसी कंपनी और उसके लेनदारों या उनके किसी भी वर्ग के बीच या किसी कंपनी और उसके सदस्यों या उनके किसी भी वर्ग के बीच समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित की जा सकती है । इस तरह का समझौता एक कंपनी के दूसरी

कंपनी के साथ समामेलन/विलय की किसी भी योजना को भी अपने दायरे में ले लेगा। जब ऐसी कोई योजना किसी कंपनी द्वारा न्यायालय की मंजूरी के लिए आगे रखी जाती है तो सबसे पहले न्यायालय को लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग की बैठकें आयोजित करने का निर्देश देना होता है जो ऐसी योजना से संबंधित हैं और एक बार लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग के मूल्य में तीन- चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या में बहुमत, जैसा भी मामला हो, ऐसी बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित या मतदान करके किसी भी समझौते या व्यवस्था को अपनी मंजूरी देते हैं। मतदान के लिए रखा जाता है, और एक बार जब इस तरह के समझौते को न्यायालय द्वारा मंजूरी दे दी जाती हैं, तो यह सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग, यहां तक कि असहमत लेनदारों या वर्ग के लिए भी जैसा भी मामला हो, के लिए बाध्यकारी होगा, जिसका अनिवार्य रूप से यह मतलब होगा कि लेनदारों या असहमत सदस्यों या सदस्यों के वर्ग की ऐसी स्वीकृत योजना बाध्यकारी रहेगी। संबंधित लेनदारों या सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित होने बावजूद ऐसी योजना को

मंजूरी देने से पहले न्यायालय को संतुष्ट होना होगा कि कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति ने धारा 391 की उप-धारा (2) के तहत मजूरी के लिए ऐसा आवेदन दायर किया है। उस धारा की उपधारा (2) के परंतुक में उल्लिखित प्रासंगिक मामले। जहां तक लेनदारी या सदस्यों, या उनके संबंधित वर्गों की बैठकों का संबंध है, जिनके लिए योजना प्रस्तावित है, धारा 391(1) (ए) द्वारा यह आदेश दिया गया है कि उक्त प्रधान द्वारा अपेक्षित अपेक्षित जानकारी भी आवश्यक है। इसे संबंधित मतदाताओं के विचारार्थ रखा जाना चाहिए ताकि संबंधित पार्टियां जिनके समक्ष योजना को मतदान के लिए रखा गया है वे इस बारे में जानकारीपूर्ण और वस्तुनिष्ठ निर्णय ले सके कि उन्हें योजना के पक्ष में मतदान करना है या इसके विरूद्ध धारा 391 और 393 के प्रासंगिक प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी न्यायालय, जिसे ऐसी योजना को मंजूरी देने के लिए कहा जाता है, को केवल अधिकांश शेयरधारकों या लेनदारों या उनके संबंधित वनों मे अपेक्षित बहुमत से योजना के पक्ष में मतदान किया होगा, लेकिन न्यायालय को यह पता लगाने की दृष्टि से योजना के पक्ष और विपक्ष पर विचार करना होगा कि क्या योजना निष्पक्ष,

उचित और तर्कसंगत है और किसी भी प्रावधान के विपरीत नहीं है। कानून और यह किसी भी सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता है। यह समझौते या व्यवस्था की अवधारणा में ही अंतर्निहित है जो कानून की अदालत की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कोई भी अदालत कभी भी पार्टियों के बीच समझौते या व्यवस्था की किसी भी योजना का समर्थन नहीं करेगी और जिसे अपेक्षित बहुमत से समर्थन मिल सकता है यदि अदालत को पता चलता है कि यह एक अचेतन या गैरकानूनी योजना है या अन्यथा किसी वर्ग के लिए अनुचित या अन्यायपूर्ण है। शेयरधारक या लेनदार जिनके लिए यह है। नतीजतन, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक कंपनी न्यायालय जिसके समक्ष ऐसी योजना को मंजूरी देने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है, जिसे लेनदारों या सदस्यों या उनमें से किसी भी वर्ग का अपेक्षित बहुमत समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिनके लिए संबंधित कंपनी द्वारा योजना बनाई गई है। यह केवल एक रबर स्टांप के रूप में कार्य करेगा और उसे ऐसी योजना पर अपनी मंजूरी की मुहर लगभग स्वचालित रूप से लगानी होगी। यह कहना गलत है कि एक बार जब योजना को न्यायालय द्वारा मंजूरी मिल जाती है तो यह

असहमत अल्पसंख्यक शेयरधारकों या लेनदारों को भी बाध्य कर देगी। इसलिए, मंजूरी के लिए रखी गई संबंधित योजना पर मंजूरी की मुहर लगाते समय कंपनी न्यायालय द्वारा योजना की निष्पक्षता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। निःसंदेह, यह सच है कि जहां तक कंपनी न्यायालय का संबंध है, अधिनियम की धारा 391 और 393 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार योजना की शून्यता के प्रश्न पर इस शर्त के अधीन निर्णय लेना होगा कि एक योजना को मंजूरी दे दी गई है। बहुमत, लेनदारों या सदस्यों जैसा भी मामला हो, के असहमत अल्पसंख्यक के लिए बाध्यकारी रहेगा, भले ही उन्होंने ऐसी योजना के लिए सहमति नहीं दी हो और उस हद तक उनकी सहमति के अभाव का योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह माना जा सकता है कि कंपनी न्यायालय की मंजूरी के लिए रखी गई समझौता और व्यवस्था की ऐसी योजना के मामले में भी यह देखना होगा कि क्या प्रस्तावित योजना वैध और न्यायसंगत है और लेनदारों या सदस्यों के पूरे वर्ग के लिए उचित है। असहमत अल्पसंख्यक जिनके लिए इसे अनुमोदन के लिए पेश किया गया है और जिसे अपेक्षित बहुमत वोट वाले व्यक्तियाँ के ऐसे वर्ग द्वारा अनुमोदित किया गया है।" यह सच है कि

जहां तक कंपनी न्यायालय का संबंध है, अधिनियम की धारा 391 और 393 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार योजना की शून्यता के प्रश्न पर इस शर्त के अधीन निर्णय लेना होगा कि बहुमत द्वारा स्वीकृत योजना एक के लिए बाध्यकारी रहेगी। अल्पसंख्यक लेनदारों या सदस्यों जैसा भी मामला हो, की असहमति, भले ही उन्होंने ऐसी योजना के लिए सहमति नहीं दी हो और उस हद तक उनकी सहमति के अभाव का योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह माना जा सकता है कि कंपनी न्यायालय की मंजूरी के लिए रखी गई समझौता और व्यवस्था की ऐसी योजना के मामले में भी यह देखना होगा कि क्या प्रस्तावित योजना वैध और न्यायसंगत है और लेनदारों या सदस्यों के पूरे वर्ग के लिए उचित है। असहमत अल्पसंख्यक जिनके लिए इसे अनुमोदन के लिए पेश किया गया है और जिसे अपेक्षित बहुमत वोट वाले व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा अनुमोदित किया गया है।" यह सच है कि जहां तक कंपनी न्यायालय का संबंध है, अधिनियम की धारा 391 और 393 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार योजना की शून्यता के प्रश्न पर इस शर्त के अधीन निर्णय लेना होगा कि बहुमत द्वारा स्वीकृत योजना एक के लिए बाध्यकारी रहेगी। जैसा भी मामला हो, अल्पसंख्यक

लेनदारों या सदस्यों की असहमति, भले ही उन्होंने ऐसी योजना के लिए सहमति नहीं दी हो और उस हद तक उनकी सहमति के अभाव का योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह माना जा सकता है कि कंपनी न्यायालय की मंजूरी के लिए रखी गई समझौता और व्यवस्था की ऐसी योजना के मामले में भी यह देखना होगा कि क्या प्रस्तावित योजना वैध और न्यायसंगत है और लेनदारों या सदस्यों के पूरे वर्ग के लिए उचित है। असहमत अल्पसंख्यक जिनके लिए इसे अनुमोदन के लिए पेश किया गया है और जिसे अपेक्षित बहुमत वोट वाले व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा अनुमोदित किया गया है।"

10. 51 कंपनी केस पेज 266 में रिपोर्ट किए गए सकामारी स्टील एंड अलॉयज लिमिटेड के मामले में, बॉम्बे हाई कोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि धारा 391(1)एक साइन पोस्ट नहीं है,बल्कि एक चेक पोस्ट है,यहां न्यायालय का यह एक कर्तव्य है। न्यायालय स्वयं योजना की वास्तविकता और प्रमाणिकता की जांच करेगा।

11. इसलिए, उपरोक्त निर्णय का पढ़ने से पता चलता है कि बैठक बुलाने के निर्देश के लिए समन जारी करने के चरण में, हालांकि कंपनी न्यायाधीश को योजना की वास्तविकता पर, प्रथम दृष्टया, मूल रूप से

संपूर्ण अभ्यास पर अपना दिमाग लगाना होगा। यह सत्यापित करता है कि क्या नियम 69 में निर्धारित कई शर्तें फॉर्म 33 और 34 सें सतुष्ट है।

12. आक्षेपित निर्णय में, हिंद ऑटो इंडो लिमिटेड बनाम मैसर्स प्रीमियर मोटर्स (पी) लिमिटेड के मामले में एआईआर 1970 इलाहाबाद 165 में रिपोर्ट किए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया गया है। उस फैसले से हमने पाया कि उक्त मामला कंपनी अधिनियम की धारा 394 ए की व्याख्या से संबंधित है, जिससे हमारा इस मामले में कोई लेना-देना नहीं है। जो भी हो, उक्त निर्णय में ऐसी टिप्पणियॉ है, जिनके संबंध में हम सहमत नहीं है, एक ओर नियम 67 और 69 की व्याख्या के साथ-साथ द्वारा दी गई व्याख्या के व्यावहारिक प्रभाव के आधार पर भी। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय। यदि बैठक बुलाने के प्रारंभिक चरण में सदस्यों को सुनवाई की अनुमति देना आवश्यक है, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में कहा गया है, तो कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 की योजना अव्यवहारिक हो जाएगी। उपरोक्त कारणों से, सम्मान के साथ, हम हिंद ऑटो इंडो लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से असहमत हैं और हम सकामारी स्टील एंड अलॉयज के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत हैं। लिमिटेड (सुप्रा)।

13. उपरोक्त कारणों से, हम इन सिविल अपीलों की अनुमति देते

हैं। परिणामस्वरूप, बिना आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है आैर लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है। यह निर्णय पक्षकार को उसकी स्थानीय भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।